



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2019/माघ 30, 1940

No. 111]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2019/MAGHA 30, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 127(अ).—यह अधिसूचना राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 34(अ) दिनांक 16 जनवरी, 2019 द्वारा संशोधित राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 364 (अ) दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के अधिक्रमण में जारी की जा रही है।

परिभाषा

1. इस अधिसूचना में -

(क) किसी एनटिटी को निम्नानुसार स्टार्टअप माना जाएगा:

- (i) निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक, यदि यह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।
- (ii) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एनटिटी का कुल कारोबार सौ करोड़ रुपये से अधिक न हो।
- (iii) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनायी गयी किसी एनटिटी को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण -

किसी एनटिटी को उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार सौ करोड़ रुपए से अधिक होने पर स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य आयकर अधिनियम, 1961 है;

(ग) "बोर्ड" का आशय है अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

(i) संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग, संयोजक

(ii) प्रतिनिधि, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सदस्य

(iii) प्रतिनिधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सदस्य

(घ) "सीबीडीटी" का अर्थ केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है;

(ङ) "सीमित देयता भागीदारी" का अर्थ सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ढ) में दिए गए अनुसार होगा;

(च) "भागीदारी कंपनी" का अर्थ भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत कंपनी है;

(छ) "प्राइवेट लिमिटेड कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (68) में दिए गए अनुसार होगा;

(ज) "कारोबार" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (91) में दिए गए अनुसार होगा;

(झ) इस अधिसूचना में "प्रपत्रों" के सभी संदर्भों को इसके परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रपत्रों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

(ञ) "डीपीआईआईटी" का आशय है उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग।

मान्यता

2. स्टार्टअप के रूप में पात्र एनटिटी की मान्यता संबंधी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

(i) स्टार्टअप द्वारा डीपीआईआईटी द्वारा स्थापित मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा;

(ii) आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक होगा-

(क) यथा वांछित निगमीकरण अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, और

(ख) व्यवसाय के स्वरूप का ब्यौरा जिसमें यह प्रमुखता से दर्शाना होगा कि वह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार या रोजगार सृजन या धन सृजन के सन्दर्भ में अपनी स्केलेबिलिटी की दिशा में किस प्रकार कार्य कर रहा है।

(iii) डीपीआईआईटी ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना मांगे जाने तथा जांच करने के बाद, जैसा भी उचित समझे-

(क) पात्र एनटिटी को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दे सकता है अथवा

(ख) कारण बताते हुए आवेदन को निरस्त कर सकता है।

अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रयोजन हेतु प्रमाणन

3. एक स्टार्टअप जो एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है अथवा एक सीमित दायित्व वाली भागीदारी में है, और अधिनियम की धारा 80-आईएसी के स्पष्टीकरण के उपखण्ड (i) तथा उपखण्ड (ii) में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रयोजन हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रपत्र-1 में उसमें उल्लिखित दस्तावेजों सहित बोर्ड को आवेदन कर सकता है और बोर्ड संबंधित दस्तावेजों अथवा सूचना मंगाने और आवश्यक जांच के पश्चात, यथाउपयुक्त पाए जाने पर-

- (i) अधिनियम की धारा 80-आईएसी के स्पष्टीकरण के खण्ड (ii) के उपखण्ड (ग) के सन्दर्भ में प्रमाणपत्र जारी कर सकता है; अथवा
- (ii) कारण बताते हुए आवेदन रद्द कर सकता है

अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के प्रयोजन के संदर्भ में छूट

4. एक स्टार्टअप अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के परंतुक के खण्ड (ii) के तहत अधिसूचना और तदनुसार उस खण्ड के प्रावधानों से छूट के लिए पात्र होगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:-

- i. पैरा 2(iii)(क) के तहत अथवा इस विषय पर किसी पूर्ववर्ती अधिसूचना के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो
- ii. शेयर जारी करने अथवा जारी करने का प्रस्ताव, यदि कोई हो, करने के पश्चात स्टार्टअप की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की कुल राशि पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक न हो,

बशर्ते कि प्रदत्त शेयर पूंजी की कुल राशि की गणना करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को जारी किए गए शेयरों के संबंध में प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम को पच्चीस करोड़ रुपये की राशि में शामिल नहीं किया जाएगा-

(क) अनिवासी (नॉन रेजिडेंट); अथवा

(ख) वेंचर कैपिटल कम्पनी अथवा वेंचर कैपिटल फंड;

इसके अलावा, बशर्ते कि ऐसे स्टार्टअप द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी को शेयर जारी करने अथवा जारी करने का प्रस्ताव करने से प्राप्त लाभ पर भी छूट दी जाएगी तथा इसे पच्चीस करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की समस्त राशि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) उसके द्वारा निम्नलिखित परिसम्पत्तियों में से किसी में निवेश न किया गया हो-

(क) स्टार्टअप द्वारा व्यवसाय के दौरान, स्टॉक करने के लिए अथवा किराए पर देने के लिए उपयोग करने के अलावा, किसी आवासीय मकान के रूप में भवन अथवा तत्संबंधी भूसंपत्ति;

(ख) व्यवसाय के दौरान, स्टॉक करने के लिए अथवा किराए पर देने के लिए उपयोग करने अथवा अपने व्यवसाय हेतु स्टार्टअप द्वारा उसका इस्तेमाल करने के अलावा, किसी गैर-आवासीय मकान के रूप में भूमि अथवा भवन अथवा दोनों;

(ग) ऋण अथवा अग्रिम, उन ऋणों अथवा अग्रिमों को छोड़कर जो स्टार्टअप द्वारा सामान्य व्यवसाय के लिए उपयोग किए गए हैं तथा जहां पर धन उधार देना, व्यवसाय का आवश्यक हिस्सा है;

(घ) किसी अन्य एनटिटी के लिए किया गया पूंजीगत योगदान;

(ड) शेयर और प्रतिभूतियां;

(च) स्टार्टअप द्वारा प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग अथवा स्टॉक के लिए सामान्य व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले वाहनों के अलावा कोई मोटर वाहन, हवाई जहाज, यॉट अथवा परिवहन का कोई अन्य साधन जिसकी वास्तविक लागत 10 लाख रुपये से अधिक हो;

(छ) स्टार्टअप द्वारा सामान्य व्यवसाय में स्टॉक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वालों के अलावा, आभूषण;

(ज) कोई अन्य परिसम्पत्ति, चाहे वह पूंजीगत परिसम्पत्ति हो अथवा अन्य, जो अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खण्ड (vii) की व्याख्या के खण्ड (घ) के उपखण्ड (iv) से (ix) में उल्लिखित प्रकृति की हो।

बशर्ते स्टार्टअप नवीनतम वित्तीय वर्ष के अंत, जिसमें शेयर प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं, से सात वर्ष की अवधि के लिए उप-खंड (क) से (छ) में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति में निवेश नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, -

- (i) "निर्दिष्ट कंपनी" का अर्थ है एक ऐसी कंपनी जिसके शेयरों का सामान्यतः भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अर्थ के भीतर कारोबार किया जाता है और जिसकी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से पहले शुद्ध मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें सौ करोड़ रुपये से अधिक के शेयर जारी किए जाते हैं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का टर्नओवर जिसमें दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक के शेयर जारी किए जाते हैं।
- (ii) अधिनियम की धारा 56 की उप धारा (2) के खंड (vii ख) के विवेचन में दिए गए अर्थ के अनुसार "वेंचर कैपिटल कंपनी" और "वेंचर कैपिटल फंड" के समान अर्थ होंगे।

घोषणा

5. पैरा 4 (i) और पैरा 4 (ii) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले स्टार्टअप द्वारा डीपीआईआईटी को प्रपत्र 2 में विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा दर्ज करनी होगी कि यह पैरा 4 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। ऐसी घोषणा प्राप्त होने पर, डीपीआईआईटी इसे सीबीडीटी को भेजेगा।

कार्य-क्षेत्र

6. पैरा 4 में उल्लिखित अधिसूचना, स्टार्टअप द्वारा अपने निगमन की तारीख से जारी किए गए शेयरों की तिथियां कुछ भी होने के बावजूद लागू होगी, उन जारी किए गए शेयरों को छोड़कर जिनके संबंध में अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले अधिनियम के तहत किए गए एक आकलन आदेश में अधिनियम की धारा 56 (2) (viiख) के तहत अतिरिक्त शेयरों को शामिल किया गया है।

7. पैरा 4 में संदर्भित अधिसूचना, स्टार्टअप पर अधिनियम की धारा 56(2)(viiख) के प्रावधान लागू होने के संदर्भ में लागू होंगी तथा इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के लागू होने के संदर्भ में कोई छूट नहीं मिलेगी।

निरसन

8.(1) यदि यह पाया जाता है कि पैरा 3 के संदर्भ में किसी भी प्रमाण-पत्र को गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो बोर्ड के पास ऐसे प्रमाण-पत्र या अनुमोदन को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(2) जहां उप-पैरा (1) के तहत प्रमाण-पत्र या अनुमोदन रद्द कर दिया गया है, ऐसे प्रमाण-पत्र या अनुमोदन को बोर्ड द्वारा कभी भी जारी या मंजूर नहीं किया गया माना जाएगा।

9. यदि स्टार्टअप जो प्रपत्र-2 में घोषणा करता है, उस नवीनतम वित्त वर्ष के अंत से 7 वर्ष के समाप्त होने से पहले पैरा 4(iii) में विनिर्दिष्ट किसी आस्ति में निवेश करता है जिसमें प्रीमियम पर शेयर जारी हुए हैं तो अधिनियम की धारा 56(2)(viiख) के तहत प्रदत्त छूट को पूर्व प्रभाव से वापस ले लिया जाएगा।

प्रभाव

10. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2021 को अथवा उससे पूर्व इस अधिसूचना की समीक्षा की जाएगी।

[फा.सं. 5(4)/2018-एसआई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-I**प्रपत्र -1****आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईएसी के प्रयोजनों हेतु प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन**

1. स्टार्टअप का नाम -
2. स्टार्टअप के निगमीकरण / पंजीकरण की तारीख-.....
3. निगमन संख्या/ पंजीकरण संख्या.....
4. पता और व्यापार स्थान -
5. व्यवसाय की प्रकृति
6. स्टार्टअप का संपर्क विवरण (फोन नंबर और ईमेल)-
7. स्थायी खाता संख्या -
8. मौजूदा / प्रस्तावित गतिविधियां -

(संगम ज्ञापन, एलएलपी / साझेदारी विलेख, बोर्ड संकल्प आदि की प्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं/ हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है और कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाई नहीं गई है।

कृते (स्टार्टअप का नाम)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) पदनाम

स्थान: _____

दिनांक: _____

इस प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (यदि लागू हो) संलग्न किए जाएंगे -

1. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए स्टार्टअप के वार्षिक खाते
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रतियां

प्रपत्र 2**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2) (viiब) के तहत छूट के लिए स्टार्टअप द्वारा घोषणा**

<कंपनी के लेटरहेड पर जारी किया जाए>

1. मैं,.....सुपुत्र/सुपुत्री..... स्थायी खाता संख्या (पैन)..... (कंपनी का नाम)..... का.....होने के नाते डीपीआईआईटी मान्यता संख्या..... तथा स्थायी खाता संख्या (पैन संख्या)..... एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि

इस कंपनी ने नवीनतम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात वर्ष की अवधि, जिसमें कंपनी द्वारा प्रीमियम पर शेयर जारी किए गए हैं, के लिए उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक..... के पैरा 4(iii) में उल्लिखित परिसंपत्तियों में निवेश नहीं किया है तथा न ही करेगी।

2. मैं जानता हूँ कि उपर्युक्त के अनुपालन में विफल रहने पर दी गई छूट पूर्वप्रभाव से वापस ले ली जाएगी।

स्थान.....

दिनांक.....

*हस्ताक्षर:.....

नाम:.....

पदनाम:.....

*इस घोषणा पर आयकर अधिनियम की धारा 140 के तहत आयकर रिटर्न पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

G.S.R. 127(E).— This notification is being issued in supersession of the Gazette Notification No. G.S.R. 364(E) dated April 11, 2018 as modified vide Gazette Notification No. G.S.R. 34 (E) dated January 16, 2019.

Definitions

1. In this notification,—

(a) An entity shall be considered as a Startup:

- i. Upto a period of ten years from the date of incorporation/ registration, if it is incorporated as a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013) or registered as a partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2008) in India.
- ii. Turnover of the entity for any of the financial years since incorporation/ registration has not exceeded one hundred crore rupees.
- iii. Entity is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation.

Provided that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered a 'Startup'.

Explanation-

An entity shall cease to be a Startup on completion of ten years from the date of its incorporation/ registration or if its turnover for any previous year exceeds one hundred crore rupees.

(b) "Act" means the Income-tax Act, 1961;

- (c) “Board” means the Inter-Ministerial Board of Certification comprising of the following members:
 - (i) Joint Secretary, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Convener
 - (ii) Representative of Department of Biotechnology, Member
 - (iii) Representative of Department of Science & Technology, Member
- (d) “CBDT” means Central Board of Direct Taxes constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963);
- (e) “limited liability partnership” shall have the meaning as assigned to it in clause (n) of sub-section(1) of Section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008;
- (f) “partnership firm” means a firm registered under section 59 of the Partnership Act, 1932;
- (g) “private limited company” shall have the meaning as assigned to it in clause (68) Section 2 of the Companies Act, 2013;
- (i) “turnover” shall have the meaning as assigned to it in clause (91) Section 2 of the Companies Act, 2013;
- (j) All references to “Forms” in this notification shall be construed as references to the forms set out in Appendix-I hereto;
- (k) “DPIIT” means Department for Promotion of Industry and Internal Trade.

Recognition

2. The process of recognition of an eligible entity as startup shall be as under: —
 - (i) A Startup shall make an online application over the mobile app or portal set up by the DPIIT.
 - (ii) The application shall be accompanied by—
 - (a) a copy of Certificate of Incorporation or Registration, as the case may be, and
 - (b) a write-up about the nature of business highlighting how it is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or its scalability in terms of employment generation or wealth creation.
 - (iii) The DPIIT may, after calling for such documents or information and making such enquires, as it may deem fit, —
 - (a) recognise the eligible entity as Startup; or
 - (b) reject the application by providing reasons.

Certification for the purposes of section 80-IAC of the Act

3. A Startup being a private limited company or limited liability partnership, which fulfils the conditions specified in sub-clause (i) and sub-clause (ii) of the Explanation to section 80-IAC of the Act, may, for obtaining a certificate for the purposes of section 80-IAC of the Act, make an application in Form-1 along with documents specified therein to the Board and the Board may, after calling for such documents or information and making such enquires, as it may deem fit, —
 - (i) grant the certificate referred to in sub-clause (c) of clause (ii) of the Explanation to section 80-IAC of the Act; or
 - (ii) reject the application by providing reasons.

Exemption for the purpose of clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Act

4. A Startup shall be eligible for notification under clause (ii) of the proviso to clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Act and consequent exemption from the provisions of that clause, if it fulfils the following conditions:

- (i) it has been recognised by DPIIT under para 2(iii)(a) or as per any earlier notification on the subject
- (ii) aggregate amount of paid up share capital and share premium of the startup after issue or proposed issue of share, if any, does not exceed, twenty five crore rupees:

Provided that in computing the aggregate amount of paid up share capital, the amount of paid up share capital and share premium of twenty five crore rupees in respect of shares issued to any of the following persons shall not be included—

- (a) a non-resident; or
- (b) a venture capital company or a venture capital fund;

Provided further that considerations received by such startup for shares issued or proposed to be issued to a specified company shall also be exempt and shall not be included in computing the aggregate amount of paid up share capital and share premium of twenty five crore rupees.

iii) It has not invested in any of the following assets,—

- (a) building or land appurtenant thereto, being a residential house, other than that used by the Startup for the purposes of renting or held by it as stock-in-trade, in the ordinary course of business;
- (b) land or building, or both, not being a residential house, other than that occupied by the Startup for its business or used by it for purposes of renting or held by it as stock-in-trade, in the ordinary course of business;
- (c) loans and advances, other than loans or advances extended in the ordinary course of business by the Startup where the lending of money is substantial part of its business;
- (d) capital contribution made to any other entity;
- (e) shares and securities;
- (f) a motor vehicle, aircraft, yacht or any other mode of transport, the actual cost of which exceeds ten lakh rupees, other than that held by the Startup for the purpose of plying, hiring, leasing or as stock-in-trade, in the ordinary course of business;
- (g) jewellery other than that held by the Startup as stock-in-trade in the ordinary course of business;
- (h) any other asset, whether in the nature of capital asset or otherwise, of the nature specified in sub-clauses (iv) to (ix) of clause (d) of Explanation to clause (vii) of sub-section (2) of section 56 of the Act.

Provided the Startup shall not invest in any of the assets specified in sub-clauses (a) to (h) for the period of seven years from the end of the latest financial year in which shares are issued at premium;

Explanation.— For the purposes of this paragraph,—

- (i) “specified company” means a company whose shares are frequently traded within the meaning of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and whose net worth on the last date of financial year preceding the year in which shares are issued exceeds one hundred crore rupees or turnover for the financial year preceding the year in which shares are issued exceeds two hundred fifty crore rupees.

(ii) the expressions “venture capital company” and “venture capital fund” shall have the same meanings as respectively assigned to them in the explanation to clause (viib) of sub Section(2) of Section 56 of the Act.

Declaration

5. A startup fulfilling conditions mentioned in para 4 (i) and para 4 (ii) shall file duly signed declaration in Form 2 to DIPP that it fulfills the conditions mentioned in para 4. On receipt of such declaration, the DPIIT shall forward the same to the CBDT.

Scope

6. Notification referred in para 4 shall apply irrespective of the dates on which shares are issued by the Start up from the date of its incorporation, except for the shares issued in respect of which an addition under section 56(2)(viib) of the Act has been made in an assessment order made under the Act before the date of issue of the notification.

7. Notification referred to in para 4 shall be applicable only in respect of applicability of the provisions of section 56(2)(viib) of the Act to the Startup and shall not grant any exemption in respect of applicability of other provisions of the Act.

Revocation

8. (1) In case it is found that any certificate referred to para 3 has been obtained on the basis of false information, the Board reserves the right to revoke such certificate or approval.

(2) Where the certificate or approval has been revoked under sub-para (1), such certificate or approval shall be deemed never to have been issued or granted by the Board.

9. In case the Startup which has furnished declaration in Form-2 invests in any of the assets specified in para 4(iii) before the end of seven years from the end of the latest financial year in which the shares are issued at premium, the exemption provided under section 56(2)(viib) of the Act shall be revoked with retrospective effect.

Effect

10. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette. The Government will carry out a review of this notification on or before 31.03.2021.

[F. No. 5(4)/2018-SI]
ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

APPENDIX-I

Form-1

Application for certificate for the purposes of section 80-IAC of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the Startup -
2. Date of incorporation/ registration of Startup -
3. Incorporation No./ registration No.
4. Address and business location-
5. Nature of business
6. Contact details of Startup (Phone No. and Email)-
7. Permanent Account No.
8. Existing/ proposed activities -

(Enclose copy of Memorandum of Association, LLP/partnership Deed, Board Resolution etc.)

Declaration

I/ We hereby certify that the above information furnished by me is true and no relevant information has been concealed.

For (Name of the Startup)

(Name of the authorised signatory) Designation

Place: _____

Date: _____

This form shall be accompanied by the following documents (if applicable)-

1. Annual Accounts of the startup for the last three financial years
2. Copies of income-tax returns for the last three financial years

Form 2

Declaration by a Startup for exemption under Section 56(2)(viib) of the Income Tax Act, 1961

<To be issued on Company Letterhead>

I, _____ Son/ Daughter of _____ having Permanent Account Number (PAN) _____ in my capacity as _____ of _____ (Company's Name) _____ having DPIIT recognition number _____ and Permanent Account Number (PAN) _____ hereby certify and declare that the said company has not invested and shall not invest for a period of seven years from the end of the latest financial year in which shares are issued at premium by the said company in any of the assets specified in para 4(iii) of the notification number _____ dated _____ issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry.

2. I understand that failure to comply with the above declaration will result in revocation of exemption with retrospective effect.

Place: _____

Date: _____

*Signature: _____

Name: _____

Designation: _____

*This declaration is to be signed by a person who is authorised to verify the return of income under section 140 of the Act.